



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सादामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



CIN : L40101DL1989GOI038121

PGCIL/R/m-75/2020

दिनांक: 16 January, 2020

श्री संजय मिश्र,
EWS-397, राप्तीनगर फेज -IV, स्पोर्ट्स कालेज के पीछे,
चरगावा, गोरखपुर - 273013, उत्तर प्रदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 8 January, 2020 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।


उपरोक्त पत्र मे वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 मे संलग्न है।

यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,
कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सादामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह) 16/01/2020

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के.आ.) व के.लो.सू. अधिकारी

Email id: cpio.cc@powergrid.co.in

अनुलग्नक-1

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री संजय मिश्र, गोरखपुर, से संबंधित जानकारी ।

कृपया श्री संजय मिश्र द्वारा सूचना का अधिकार के तहत किये गए आवेदन दिनांक 04.01.2020 का संदर्भ लें ।

इस आवेदन में पूछे गए प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में बताया जाता है कि संबंधित शिकायत की जाँच के उपरांत पाया गया कि इस में कोई सतर्कता दृष्टिकोण नहीं है । अतः इस शिकायत को केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी, जो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, के अनुमोदन से बंद कर दिया गया है ।

---x---

